राजस्व वाद संख्या : 12 / 2017
गंगाराम आदिबनाम सत्यनारायण आदि
निर्णय दिनांक– 26/05/22

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

1. गंगाराम पुत्र श्री नाथाराम उम्र 59 साल जाति गुर्जर निवासी डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं
2. मुकेश कुमार
3. अशोक कुमार
4. प्रदीप कुमार

} पुत्रान गंगाराम जाति गुर्जर निवासी डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

..........वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण
2. रोशनलाल } पुत्रान माला
3. भाति पत्नी श्री माला जाति गुर्जर निवासी डूमोली खुर्द
4. रामेश्वर पुत्र श्री श्योनाथ जाति गुर्जर निवासी डूमोली खुर्द
5. प्रेम
6. जयपाल } पुत्रान मामचन्द
7. सुरजी पत्नी श्री मामचन्द जाति गुर्जर निवासी डूमोली खुर्द
8. छोटेलाल
9. भादर } पुत्रान सरदाराराम
10. राज
11. मुकेश } पुत्रान दाताराम
12. पतासी पत्नी श्री दाताराम
13. ज़यराम
14. सत्यनारायण } पुत्रान सरदाराराम जाति गुर्जर निवासी डूमोली खुर्द
15. ताराचन्द उर्फ रामोतार
16. बबुलाल } पुत्रान सुरजा
17. श्रीचन्द
18. कैलाश } पुत्रान रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी डूमोली खुर्द
19. धेलिया पुत्र श्री चिमला
20. मिश्री पत्नी श्री घीसा (मृत)
21. हनुमान
22. जूहरी } पुत्रान घीसा
23. म्हाली
24. माड़ी
25. विमला } पुत्रियां घीसा जाति ब्राह्मण निवासी डूमोली खुर्द
26. राजू पुत्र श्री बंशी
27. ताराचन्द पुत्र छाजू जाति ब्राह्मण निवासी डूमोली खुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

28. सुनील पुत्र श्री बाबूलाल
29. पानबाई पुत्री छाजू जाति ब्राह्मण निवासी डूमोली खुर्द
30. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक शाखा पचेरी कलां
31. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, नक्शा दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :– 26/05/2022

(1). वादीने वादपत्र पेश कर अनुतोष चाहा है किः–

1. यह कि वाके ग्राम डूमोली खुर्द तहसील बुहाना स्थित ख.नं. 1382, 1383, 1386, 1387, 1388, 1389, 1395, 1405 कुल किता 8 कुल रकबा 1.32 है. में वादीगण को कमला देवी पत्नी गंगाराम के स्थान पर 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे।
2. यह कि ग्राम डूमोली खुर्द स्थित भूमि हाल ख.नं. 1382, 1383, 1386, 1387, 1388, 1389, 1381, 1376, 1377, 1907/1377 जिसको नक्शे में 1909/1677 दर्ज किया गया है की आकृति हाल नक्शा किस्तवार को सन् 1979–80 के गत ख. नं 749, 750 के अनुसार कायम किया जाकर नक्शा दुरूस्त करावें।
3. यह कि प्रतिवादी संख्या 31 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीगण को ख.नं. 1382 रकबा 0.25 है. से बेदखल नहीं करे एवं हाल ख.नं. 1382 की पूर्वी सीमा गत ख.नं. 749 के अनुरूप कायम रहने देवे।

(2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। सभी प्रतिवादीगण कीसम्यक तामील उपरान्त अनुपस्थिति के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 29 को Ex-Party करार देकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3). वादीगण की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में ग्राम डूमोली खुर्द का नक्शा किस्तवार संवत् 1936–37, 1979–80, नकल जमाबंदी सम्वत् 2024–27, संवत् 2028, संवत् 2023, संवत् 2070–73में खाता सं. 483,577,1, नकल मिशल बंदोबस्त, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल पटवारी रिपोर्ट दिनांक 04.08.2016 एवं दिनांक 26.12.2016, कमला देवी पत्नी गंगाराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किये गये।

(4). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी ने वाद–पत्र के अनुतोष को सुसंगत एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों से साबित किया है।पटवारी हल्का डूमोली खुर्द की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2016में वादीगण के वाद के पक्ष में सहमति जाहिर की है। परिणामतः वादीगण वाद पत्र के माध्यम से चाहे गए अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री [illegible] उचित व न्यायोचित पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या : 12/2017
गंगाराम आदिबनाम सत्यनारायण आदि
निर्णय दिनांक– 26/05/22

–:: आदेश ::–

न्यांयालय वाद वादीडिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम डूमोली खुर्द तहसील बुहाना की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 483 अंकित ख.नं. 1382, 1383, 1386, 1387, 1388, 1389, 1395, 1405 कुल किता 8 कुल रकबा 1.32 है. में वादीगणं को कमला देवी पत्नी गंगाराम का नाम हजफ कर उसके स्थान पर 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। (2) वाके ग्राम डूमोली खुर्द के हाल खसरा नम्बर ख.नं 1381, 1382, 1383, 1386, 1387, 1388, 1389 , 1376, 1909/1377, 1909/1677 एवं 1377 के हाल नक्शा किस्तावर सन् 1979–80 को गत नक्शा किस्तवार सं. 1936–37 के गत खसरा नम्बर 749, 750 के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 26/5/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:06 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 12/2017

गंगाराम आदि बनाम सत्यनारायण आदि

<u>दावा घोषणात्मक, नक्शा दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

वादीगण की ओर से श्री **राजेश कुमार यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में आज तारीख26.5.22को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिकी दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादीडिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम डूमोली खुर्द तहसील बुहाना की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 483 अंकित ख.नं. 1382, 1383, 1386, 1387, 1388, 1389, 1395, 1405 कुल किता 8 कुल रकबा 1.32 है. में वादीगण को कमला देवी पत्नी गंगाराम का नाम हजफ कर उसके स्थान पर 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। (2) वाके ग्राम डूमोली खुर्द के हाल खसरा नम्बर ख.नं 1381, 1382, 1383, 1386, 1387, 1388, 1389 , 1376, 1909/1377, 1909/1677 एवं 1377 के हाल नक्शा किस्तावर सन् 1979–80 को गत नक्शा किस्तवार सं. 1936–37 के गत खसरा नम्बर 749, 750 के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/5/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:21:06 IST
Reason: SelfAttested